

**न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी : मोहनसिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 226/18 (वि.प्रा.पत्र)

1. श्री ललित पिता धर्मचन्द्र जाति मेघवाल, निवासी भैंसडकलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रार्थी

**बनाम्**

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास, तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

- उपस्थित—1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।  
2. श्री राजपेरोकार, अधिवक्ता विपक्षीगण।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम****—: निर्णय :—****दिनांक 03.09.2019**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.का.अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विजनवास, पटवार हल्का विजनवास, तहसील मावली में प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1055 रकबा 12 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3605/1055 रकबा 6 बिस्वा कीता 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात् में आने जाने हेतु आराजी संख्या 1054 किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त में रास्ता है जो करीब 30 फीट चौड़ा है जिसे हमेशा से प्रार्थी उक्त आराजी में लगातार आने जाने में बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने में उपयोग कर रहा है।
2. प्रार्थी अपने उक्त आराजी की भूमि में आने जाने हेतु बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी सं. 1054 का हमेशा से ही उपयोग ले रहा है। जो करीब 30 फीट चौड़ा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा है। जबकि विपक्षीगण प्रार्थी को उक्त आराजी सं. 1054 में होकर ट्रैक्टर, बैलगाडी आदि लाने ले जाने

में विपक्षीगण बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जबकि प्रार्थी के उक्त वर्णित आराजीयात् में अन्य कोई रास्ता नजदीक दूरी का व कम खर्च का उपलब्ध नहीं है।

3. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के आराजी सं. में करीब 30 फीट चौड़ा तथा मुख्य रास्ते तक जो मुख्य रास्ते तक मिलता है जो प्रार्थी बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हैं। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार डी एल सी से शुल्क जमा कराने के लिए तैयार व तत्पर हैं।
4. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की भूमि में प्रार्थी को आने जाने हेतु बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी सं. 1054 में 30 फीट चौड़ा मुख्य रास्ते तक मिलता हो प्रार्थी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें। अन्य अनुतोष न्यायालय जो भी उचित समझे वह प्रार्थी को दिलाये जावें।
5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में पटवारी से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया।
6. प्रकरण में प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिलाया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।
7. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु पटवारी विजनवास से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

प्रकरण में पटवारी विजनवास से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम होली के आराजी सं. 1055 एवं 3605/1055 राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम

दर्ज है। इनकी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 1054 में उपलब्ध रास्ता के अलावा अन्य रास्ता नहीं है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है।

पटवारी विजनवास से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु न्यूनतम दूरी वाला रास्ता आराजी सं. 1054 में से है। आराजी नम्बर 1054 के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो वह प्रस्तावित करें।

पटवारी विजनवास द्वारा आराजी नम्बर 1054 के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया है।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें।

पटवारी विजनवास से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा जहां रास्ते की मांग की है उस भूमि का रकबा 1 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,85,670/- अक्षरे एक लाख पिच्चासी हजार छह सौ सत्तर रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 1 बिस्वा 12 बिस्वांसी की कुल कीमत 14855 अक्षरे चौदह हजार आठ सौ पचपन रूपयें होना बताया है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा विजनवास पटवार क्षेत्र विजनवास की आराजी नम्बर 1055 रकबा 12 बिस्वा एवं आ.न. 3605/1055 रकबा 6 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 1054 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता है। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 30 फीट चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 20 फीट चौड़ाई का आराजी नम्बर 1055 में रकबा 1 बिस्वा 12 बिस्वांसी का प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। न्यूनतम दूरी वाला 1 बिस्वा 12 बिस्वांसी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को

आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास तह. मावली की आराजी नम्बर 1055 रकबा 12 बिस्वा एवं आ.न. 3605/1055 रकबा 6 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1054 में से 1 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 1,85,670/- अक्षरे एक लाख पिच्चासी हजार छह सौ सत्तर रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 1 बिस्वा 12 बिस्वांसी की कुल कीमत 14855 का दुगुना 29,710/- रूपयें उन्नतीस हजार सात सौ दस रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी

अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली